भारत सरकार Government of India परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

नियामक भवन NiyamakBhavan अणुशक्तिनगर Anushaktinagar मुंबई Mumbai- 400 094.

सं.No. एईआरबी AERB/प्रशा. ADMIN/2021/775

अप्रैल/April 1, 2021

कार्यालय आदेश Office Order

कोविड-के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय 19 Preventive Measures to Contain the Spread of COVID-19

उपरोक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च, 2021 के पत्र सं. डीएमयू /2020 /CR. 92/ DisM-I के माध्यम से जारी महाराष्ट्र सरकार के आदेश तथा एईआरबी के दिनांक 17 मार्च, 2021 के कार्यालय आदेश सं. एईआरबी / प्रशा. / 2021 का संदर्भ लें। उपरोक्त आदेशों के आधार पर तथा मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में वर्तमान स्थिति का संज्ञान लेते हुए, मुंबई स्थित एईआरबी सचिवालय दिनांक 01 अप्रैल, '2021 से निम्नानुसार कार्य करेगा;

Reference is invited to Orders from Government of Maharashtra (GoM), issued vide No. DMU/2020/CR.92/DisM-I, datedMarch 27, 2021 and AERB office order No. AERB/ADMIN/2021 dated March 17, 2021. Based on above mentioned orders and taking cognizance of current situation in Mumbai Metropolitan Region (MMR), AERB Secretariat at Mumbai shall function with effect from April 1, 2021 as follows:

- (i) वैज्ञानिक अधिकारी/एफ और इसके ऊपर के सभी अधिकारी सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित होंगे। All the officials at level of SO/ F and above shall attend the office on all working days.
- (ii) सभी चिहिनत आवश्यक और सहायक अधिकारी सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित होंगे। All the identified essential and supporting officials shall attend office on all working days.
- (iii) शेष सभी अधिकारी वैकल्पिक कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित होंगे। All remaining officials shall attend the office on alternate working days
- (iv) वे अधिकारी/कर्मचारी जो कार्यालय नहीं जा रहे हैं, वे घर से काम करेंगे और वे हर समय आवश्यक कार्य होने पर टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार के साधनों पर उपलब्ध रहेंगे।

 Those officers/staff who are not attending office shall Work from Home (WFH) and they shall be available on telephone and electronic means of communications and attend office in case of any work exigencies.
- (v) हाउसकीपिंग स्टाफ (अनुबंध पर) पूरे समय के लिए कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। Housekeeping staff (on contract) shall attend office for full time.

including instructions on ArogyaSetu App.

(vi) आरोग्य सेतु ऐप पर निर्देशों सहित 'लॉक डाउन के बाद काम फिर से शुरू करने और एईआरबी के कामकाज को जारी रखने के लिए एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाएगा। 'SOP for work resumption after lock down and continue the functioning of AERB' shall be strictly followed -2-

(vii) बाहरी आगंतुकों को जरूरी काम के बिना अनुमित नहीं दी जाएगी। उन आगंतुकों के मामले में जिन्हें बैठकों के लिए बुलाया गया है, विशेष पास जारी किए जाएंगे।

Outside visitors shall not be allowed without urgent work. In case of those visitors who have been called for meetings, special passes shall be issued.

संरक्षा अनुसंधान संस्थान, कल्पक्कम और एईआरबी के क्षेत्रीय नियामक केंद्र अपनी अवस्थिति के क्षेत्र में प्रचलित आदेशों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

Safety Research Institute (SRI) Kalpakkam and the Regional Regulatory Centers of AERB shall abide by the orders and procedures prevailing at the region of its location.

तदनुसार, निदेशकों/प्रभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि वे नियंत्रणाधीन कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दें तथा प्रभाग / निदेशालय के ड्यूटी रोस्टर तैयार करें। कोविड-19 सुरक्षा पर अतिरिक्त सावधानियों पर एईआरबी उप-समिति एईआरबी में कोविड-19 सुरक्षा स्थिति मामलों की निगरानी और समीक्षा करेगी और आवश्यकतानुसार इस संदर्भ में सुरक्षात्मक उपायों की सिफारिश करेगी।

Accordingly, Directors / Heads of Division are requested to give necessary instructions to the staff under their control and prepare duty roster of the Division / Directorate. AERB Sub-Committee on Additional Precautions on COVID-19 protection will monitor and review COVID-19 protection status cases in AERB and recommend protective measures as per its terms of reference as required.

उपरोक्त आदेश दिनांक 15 अप्रैल, 2021 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, तक लागू होगा। The above order will be applicable up to April 15, 2021 or until further order whichever is earlier.

यह अध्यक्ष, एईआरबी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This is issued with the approval of Chairman, AERB.

कृष्णकुमार वी.Krishnakumar V.)

प्रशासन अधिकारी Administrative Officer-III

सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, एईआरबी /All Officers and Staff, AERB

प्रतिलिपि / Copy to:

अध्यक्ष का कार्यालय, एईसी /Office of Chairman, AEC सुरक्षा अधिकारी, एईआरबी /Security Officer, AERB

प्रमुख, आरडीडी, एईआरबी सभी संबंधितों की - जानकारी के लिए इस परिपत्र को एईआरबी वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।

Head, RDD, AERB - With a request to put this circular on AERB website for information of all concerned.